जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

क्वाटर्ज, फैल्सपार (अप्रधान खनिज) खनिज के ,खनन की परियोजना, एम.एल. नं. 8 / 1998 एवं कुल खनन् क्षेत्र 24.89 हैक्टेयर है, ग्राम – कावरा, तहसील – टोंक एवं जिला – टोंक (राजस्थान), खनन क्षमता – 2,65,360 टन प्रतिवर्ष से 16,64,040 टन प्रतिवर्ष (रोम) के विस्तार का प्रस्ताव है। आवेदक मैसर्स बी. एस. माईनिंग कंपनी की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2024 को प्रातः 11:30 बजे, कार्यालय तहसीलदार, टोंक, तहसील–टोंक एवं जिला – टोंक (राजस्थान) में आयोजित जनसुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकंलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक के पत्र कमांक 7986 दिनांक 21.08.2024 एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र कमांक RPCB/RO Bundi/PUB-104/873 दिनांक 21.08.2024 की अनुपालना में मैसर्स बी. एस. माईनिंग कंपनी प्रस्तावित खनन परियोजना (क्वाटर्ज, फैल्सपार), एम.एल. नं. 8 / 1998 एवं कुल खनन् क्षेत्र 24.89 हैक्टेयर है, ग्राम – काबरा, तहसील – टोंक एवं जिला – टोंक (राजस्थान), जिसकी खनन उत्पादन क्षमता – 2,65,360 टन प्रतिवर्ष से 16,64,040 टन प्रतिवर्ष (रोम) के विस्तार हेतु सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 10.10.2024 को प्रातः 11:30 बजे, कार्यालय तहसीलदार, टोंक, तहसील–टोंक एवं जिला – टोंक (राजस्थान) में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिषिष्ट संख्या 01 पर सलंग्न है। जनसुनवाई की आम सुचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति समाचार पत्र एवं दैनिक सच्चा सागर समाचार पत्र में दिनांक 5 सितम्बर, 2024 को प्रकाषित करवाई गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्रीमान् रामरतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

Addi.District Collector and
Addi.District Magistrate,Tonk (Raj.)

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि कुमार (वाईब्रेट टेक्नोलेब प्राईवेट लिमिटेड) के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन विस्तार की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई। तकनीकी परामर्षदाता द्वारा यह भी बताया गया की प्रस्तावित विस्तार खनन परियोजना मे खनन कार्य हर प्रकार कें नियमों व मापदंण्डो को ध्यान में रखते हुए व पर्यावरण को सुदृढ़ रखते हुए किया जाएगा एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सांराष के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया की पर्यावरण के विभिन्न पहलुओ को ध्यान में रखते हुए खदान परियोजना प्रस्तावक द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जाएगा। प्रस्तावित विस्तार खनन परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय निवासियो को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इस परियोजना द्वारा भू-जल तालिका को प्रतिच्छेदित नहीं किया जाएगा साथ ही किसी भी प्रकार से प्राकृतिक वर्षा जल के मार्गो को व सतही जल निकायो को कोई भी हानि नही पहुंचायी जाएगी। प्रस्तावित विस्तार परियोजना द्वारा प्रस्तावित सामाजिक दायित्वों के समस्त कार्यो को पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। इस प्रस्तावित विस्तार खनन परियोजना में खनन कार्य समस्त नियमो के तहत ही किया जाएगा।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्रीमान् रामरतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए

Addl.District Collector and
Addl.District Magistrate, Tonk (Raj.)

आमंत्रित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने जनसुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को बताया कि आप सभी ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के बारे में जो भी बताया है आप की तरफ से जो भी आपेक्ष/सुझाव हो उसका जवाब दिया जायेगा। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक ने पुनः जनसुनवाई तथा परियोजना के बारे में आमजन को अवगत करवाते हुए बताया जब भी कोई परियोजना शुरू होती है तो वहां के पर्यावरण पर असर पड़ता है, जिसके सम्बन्ध में यह जनसूनवाई रखी गई है तथा यह परियोजना पहले से चल रही है तो इसमें ओर क्या सुधार के प्रयोजन होने चाहिए आप यहां बता सकते है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, महोदय द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारें में पूछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

इसी क्रम में श्री बद्री लाल धाकड, ग्राम ऊम पंचायत काबरा ने बताया कि मैन रोड़ से मंदिर तक रोड़ काफी खराब है जिसकी मरमत्त करवायी जाये।

श्री खुशी राम गुर्जर ग्राम काबरा ने परियोजना का समर्थन करते हुए आस पास के क्षेत्र में सडको के निमार्ण हेतु कार्य किये जाने की बात कही तथा परियोजना प्रस्तावक से इस हेतु सहायता का आग्रह किया।

परियोजना के तकनीकी सलाहकार ने इस पर बताया की परियोजना के सामाजिक दायित्वो एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्यो के अन्तर्गत परियोजना प्रस्तावक द्वारा आस पास की सडको के मरम्मत का प्रावधान भी दिया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथासभंव सहायता इस हेतु की जाएगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन, ग्राम ऊम पंचायत काबरा ने बताया कि परियोजना का समर्थन करते हुए कहा की इस परियोजना के आने से ग्रामवासियो को लाभ होगा तथा ग्राम वासियो को रोजगार भी प्राप्त होगा।

Addi.District Collector and
Addi.District Magistrate,Tonk (Raj.)

जनसुनवाई के दौरान कोई भी आपत्ति/आक्षेप लिखित रूप मे दर्ज नही हुआ है।

अन्त में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक ने पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत कराये। तथा कोई भी अतिरिक्त सुझाव या शिकायत प्राप्त ना होने पर अन्त में श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की आज्ञा से पर्यावरणीय लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

Savita

श्रीमती सविता,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बूंदी (राजस्थान)

श्रीमान रामरतन सौंकरिया
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक (राजस्थान)
Addl.District Collector and
Addl.District Magistrate,Tonk (Raj.)

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स बी.एस. माईनिंग कम्पनी, रेफेरेन्स संख्या 8/98 क्षेत्रफल – 24.89 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 265360 से 1664040, निकट ग्राम – काबरा, तहसील – टोंक, जिला – टोंक की प्रस्तावित ~~मेसनरी~~ क्वार्ट्ज फेल्सपार स्टोन खनन परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :–

स्थान :– तहसीलदार कार्यालय, टोंक, तहसील एवं जिला – टोंक

दिनांक :– 10.10.2024

समय :– प्रातः – 11:30 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Ratan Sonkaria ADM Tonk	[illegible]
2.	Savita, RO, RSPCB, Bundi	Savita
3.		
4.	बिजेन्द्र सोयल Road N1 जयपुर	[illegible]
5.	मोहन जी काबरा	[illegible]
6.	रणजीत अरनिया	रणजीतसार
7.	राजूलाल गुर्जर काबरा टोंक	[illegible]
8.	शाहरुख [illegible]	शाहरुख
9.	उदालाल काबरा	उदेलाल
10.	शंकर काबरा	शंकर
11.	[illegible]	[illegible]
12.	मोहित पांचाल [illegible]	मोहित
13.	ब्रह्मालाल [illegible]	ब्रह्मालाल
14.	कालू राम काबरा	कालूराम

क्र. सं.	नाम व पता		हस्ताक्षर
15.	नारायण	काबरा	नारायण
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	बालकिशन मीना	[illegible]	बालकिशन
18.	कालूराम	काबरा	कालूराम
19.	देवकिसन	कालीडूगरी	देवकिसन
20.	वाजिद खाँन	फारुकाबाद	वाजिद खान
21.	सल्लू खॉन	फारुकाबाद	सल्लू
22.	रामकिशोर	काबरा	रामकिशोर
23.	देवराज गुर्जर	यादुनंगाव	देवराज गुर्जर
24.	[illegible]	कालीडूगरी	[illegible]
25.	राधेश्याम पाँचाल	काबरा	राधेश्याम पाँचाल
26.	मोहनलाल	[illegible]	मोहनलाल
27.	इस्लाम खॉन	फारुकाबाद	[illegible]
28.	शिवराज गुर्जर	कालिडूगरी	शिवराज
29.	दसरथ गुर्जर	कालिडूगरी	दसरथ
30.	[illegible]		[illegible]
31.	लाल सिंह	[illegible]	लालसिंह
32.	राजूलाल [illegible]	[illegible]	[illegible]
33.	राजवीर जाट	[illegible]	[illegible]
34.	शेरखा	फारुकाबाद	शेरखा

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
35.	सुवालाल गुर्जर ग्रा. पो. काबरा	[signature]
36.	शुभीलाल जाट ग्राम-पो. डाबरहेड़	शुभीलाल
37.	सीताराम काबरा	सीताराम
38.	कृष्णा काबरा	[signature]
39.	रघुवीरराम गुर्जर ग्राम काबरा टोंक	[signature]
40.	उदैलाल गुर्जर काबरा	उदैलाल
41.	जयनारायण काबरा	जयनारायण
42.	रामलाल काबरा	रामलाल
43.	कजोड़मल काबरा	[signature]
44.	रमेश मीणा उनम	रमेश
45.	बद्रीलाल धाकड़ उनम	बद्रीलाल
46.	महेन्द्र प्रजापत टोंक	[signature]
47.	गोविन्द प्रजापत टोंक	Govind
48.	ओमप्रकाश सैनी टोंक	[signature]
49.	सोनू सिंह कोटा	[signature]
50.	महेन्द्र सिंह काबरा	महेन्द्र सिंह
51.	ओमप्रकाश गुर्जर काबरा	ओमप्रकाश
52.	पवन काबरा	पवन
53.	प्रेमराज काबरा	प्रेमराज
54.	Ravi Kumar | Vibrant technolab Pvt. Ltd. Environment Consultant	[signature]

Times of India
07/09/2024

notices

Reginal Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO Bundi/PUB-104/873 Date : 21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स बी. एस माईनिंग कम्पनी रेफरेंस संख्या 8/98 निकट काबरा, तहसील टोंक, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित क्वार्टज और फेल्सपार स्टोन माईनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है क्वार्टज और फेल्सपार स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 8/98), कुल क्लस्टर क्षेत्र - 24.89 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स बी.एस माईनिंग कम्पनी द्वारा प्रस्तावित क्वार्टज और फेल्सपार स्टोन माईनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 24.89 हैक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 265360 टीपीए से 1664040 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 8/98 खसरा संख्या 513/1, 524/2, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 615, 617, 452, 488/1, 489 & 132/2, निकट ग्राम काबरा, तहसील टोंक, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **मैसर्स बी. एस. माईनिंग कम्पनी,** ने राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लाक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09:2006 ओर एस. ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- 1. जिला कलक्टर, टोंक। 2. CEO जिला परिषद, टोंक। 3. राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए- 218, अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। 5. महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक। 6. उपखण्ड अधिकारी टोंक, जिला टोंक। 7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. नगर परिषद, टोंक। 9. कार्यालय तहसीलदार, टोंक तहसील टोंक, जिला टोंक। 10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ.प्र (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई/2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.10.2024 **(गुरूवार) को** प्रातः 11:30 **बजे, स्थान- कार्यालय तहसीलदार, टोंक, तहसील - टोंक, जिला-** टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदुषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता) क्षेत्रीय अधिकारी

THE TIMES GROUP

Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations ...

Reginal Office

Rajasthan State Pollution Contral Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb, bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

दैनिक संख्या समाचार 05/09/2024

B/RO Bundi/PUB-104/873 Date : 21.08.2024

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स बी.एस माईनिंग कम्पनी रेफरेंस संख्या 8/98 निकट काबरा, तहसील टोंक, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित क्वार्टज और फेल्सपार स्टोन माईनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है क्वार्टज और फेल्सपार स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 8/98), कुल क्लस्टर क्षेत्र - 24.89 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स बी.एस माईनिंग कम्पनी द्वारा प्रस्तावित क्वार्टज और फेल्सपार स्टोन माईनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 24.89 हैक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 265360 टीपीए से 1664040 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 8/98 खसरा संख्या 513/1, 524/2, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 615, 617, 452, 488/1, 489 & 132/2, निकट ग्राम काबरा, तहसील टोंक, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स बी.एस. माईनिंग कम्पनी, ने राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लाक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

१. जिला कलक्टर, टोंक।

२. CEO जिला परिषद, टोंक।

३. राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूगरी, जयपुर।

४. क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।

५. महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक।

६. उपखण्ड अधिकारी टोंक, जिला टोंक।

७. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।

८. नगर परिषद, टोंक।

९. कार्यालय तहसीलदार, टोंक तहसील टोंक, जिला टोंक।

१०. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ.प्र (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

११. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण जन सुनवाई/ 2024/ 7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.10.2024 **(गुरूवार) को प्रात: 11:30 बजें, स्थान- कार्यालय तहसीलदार, टोंक, तहसील-टोंक, जिला-टोंक** में उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप/ सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदुषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बूंदी
ग्राम – काबरा
तहसील – टोंक एवं जिला – टोंक (राजस्थान)
एम.एल. नं. 8/98 का क्षेत्रफल 24.89 हैक्टेयर
उत्पादन क्षमता – 2,65,360 टन प्रतिवर्ष से 16,64,040 टन प्रतिवर्ष (रोम) का विस्तार
परियोजना लागत – 500 लाख
स्थान–कार्यालय तहसीलदार, टोंक, तहसील–टोंक एवं जिला – टोंक (राजस्थान)
दिनांक – 10.10.2024, समय – प्रातः – 11:30 बजे
।। आवेदक ।।
।। पर्यावरणीय सलाहकार ।।
ई-मेल vibranttechnolab@gmail.com
तहसील कार्यालय में प्रतीक्षालय कक्ष निर्माण कार्य
(विधायक मद से स्वीकृत 15.00 लाख रुपये)
“लोकार्पण”
माननीय श्री सचिन पायलट
माननीय श्री हरीश चन्द्र मीना
RO, RSPCB
BUNDI
ADM
TONK

धन्यवाद